



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 9766/ 2023

आरक्षित किया गया :11.12.2024

पारित किया गया:21.03.2025

- 1 - महेश कुमार पिता हरिराम साहू ,26 वर्ष निवासी मकान संख्या 08 वार्ड संख्या 11 गाँव तिलीभात कवर्धा, जिला कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
- 2 - अंजलि मोर्या पिता राजनारायण मोर्या आयु लगभग 30 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 33, शकर बाबा टिकरापारा, मन्नुचौक, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - भरत पटेल पिता दिगंबर पटेल 33 वर्ष निवासी रामबाग राजीव नगर रायगढ़, जिले निवासी पास घर संख्या 1/89 सड़क संख्या 03:रायगढ़, छत्तीसगढ़
- 4 - आशीष साहू पिता सुकृत साहू ,31 वर्ष , निवासी राम मिल कसडोल, बलौदा बाजार, जिला :बलौदाबाजार-भाटपारा, छत्तीसगढ़
- 5 - अशोक कुमार पटेल पिता रामलाल पटेल,31 वर्ष, निवासी मकान संख्या 36 वार्ड संख्या 04, जमनीपाली कोरबा, जिला :कोरबा, छत्तीसगढ़
- 6 - अंजनी कश्यप पिता असहोक कुमार कश्यप, 36 वर्ष, निवासी मयूर क्लब, नया शिव मंदिर पंडारी रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 7 - सावित्री साहू पिता प्रीतम दास साहू , 29 वर्ष , निवासी मकान संख्या 144 वार्ड संख्या 7, गुडीचौक, परस्नाई, रायपुर, जिलारायपुर, छत्तीसगढ़
- 8-दीपक कुमार पिता गन्नूलाल देवांगन , 35 वर्ष , निवासी स्कूल चौक हदगाहन मकान संख्या 23, पिताठपारा हदगाहन, अर्जुंडा, जिलादुर्ग, छत्तीसगढ़
- 9 - रोशन लाल सिन्हा पिता मनोहर लाल सिन्हा , 27 वर्ष , निवासी गाँव चिड्डो, पोस्ट चिड्डो राजनंदगांव, जिला :राजनंदगांव, छत्तीसगढ़
- 10 - यजय कुमार कृष्ण पिता पहाडुराम बरेथ , 37 वर्ष निवासी मकान संख्या 199 ऋषि त्रिपाठी, मोहल्ला ऋषि, वार्ड संख्या 04 कोरबा, जिला:कोरबा, छत्तीसगढ़
- 11 - ऋषिनिवासीश पटेल पिता श्री रमेश कुमार पटेल 26 वर्ष ,निवासी ,मकान संख्या 165 बाजारपारा, गाँव तथा पोस्ट निवासीडुआ, सरायपाली, जिला:महासमुंद, छत्तीसगढ़



12 – मनीष यादव पिता जवाहर लाल यादव , 27 वर्ष, निवासी मकान संख्या 1 वार्ड संख्या 04 शांति नगर, सकरी, जिला :बिलासपुर, छत्तीसगढ़

13-सावती देवांगन पिता सत्यनारायण देवांगन 27 वर्ष , निवासी गाँव अखाड़ा भाट शक्ति, जिला :जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

14 – दुर्गेश कुमार पिता बिपितालाल यादू , 31 वर्ष निवासी खोतरी मंदिर हसौद, पोस्ट गोडी, रायपुर, जिला –रायपुर, छत्तीसगढ़

15 – कुंती देवांगन पिता भुनेश्वर देवांगन उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी ग्राम जांजगिरि, पोस्ट जंजगिरि, आदर्श नगर साई निवास रोड, पटवारी कार्यालय के पास, चरोदा, जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

16 – पवन कुमार माणिकपुरी पुत्र रतन दास माणिकपुरी पिता 35 वर्ष की आयु डॉ. शर्मा स्ट्रीट टाटालाइन कोहका, सुपेला भिलाई, दुर्ग, निवासी:दुर्ग, छत्तीसगढ़

17 – नामर्ता नामदेव पिता स्वर्गीय नारायण प्रसाद नामदेव लगभग 36 वर्ष निवासी वार्ड नं. 6/33, तिलक नगर बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

18 – मीनाक्षी कमलवंशी पिता कामेश कुमार , 26 वर्ष, निवासी गोपिया कंडिका पुरानी बस्ती रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

19 – बूंदेश्वरी मैत्री पिता जीवन लाल मैत्री , 33 वर्ष निवासी एम. डी. 765 वार्ड संख्या 14, मदर तैरेशा, दीपिका कॉलोनी दीपका, कोरबा, जिला:कोरबा, छत्तीसगढ़

20 – हल्धर सिन्हा पिता शत्रुघ्न सिन्हा लगभग 28 वर्ष , निवासी मकान संख्या 2, आबादिपाड़ा, सतमारा वार्ड संख्या 1, बेलौदी, बालोद, जिला:बालोद, छत्तीसगढ़

21 – महेश कुमार पिता संतुराम , 26 वर्ष , निवासी मकान संख्या 72 वार्ड संख्या 15 गाँव तिलीभात कवर्धा, जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ताओं

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य बिलासपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – जिला तथा सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादी



रिट याचिकस सेवा सं. 110/2024

- 1 – आर्यन देवांगन पिता नवीन निश्चल , 22 वर्ष ग्राम तेमार तहसील जांजगीर चंपा जिला जांजगीर चंपा (सी. जी.)
- 2 – रमेश कुमार पिता रामकुमार दादपिताना , 24 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 09, स्कूल कंडिका ग्राम हरेथी तहसील शक्ति , जिला जांजगीर चंपा (सी. जी.)
- 3 – गिरीश कुमार देवांगन पिता पूरन राम देवांगन 23 वर्ष ,निवासी गादिदाईपारा, राहोद वार्ड संख्या 13, नगरपालिका राहोद, जिलाजांजगीर चंपा (सी. जी.)
- 4 – गरिमा देवांगन पिता सुरेश कुमार देवांगन लगभग 26 वर्ष, कुम्हार कंडिका , कर्बला रोड, ओम विद्या मंदिर के पास जूना बिलासपुर, जिला।बिलासपुर (सी. जी.)
- 5 – शशीकांत साहू पिता रामकुमार साहू निवासी आवास संख्या 20, दैहनपारा, 02, जराँध, बिलासपुर, जिलाबिलासपुर (सी. जी.)
- 6 – देवेन्द्र साहू पिता रमजान साहू , 28 वर्ष , निवासी वार्ड संख्या 229, सरगांव, बिलासपुर , जिला :बिलासपुर (सी. जी.)
- 7 – मुनिवासीश कुमार यादव पिता सीताराम यादव , 38 वर्ष विष्णुनगर, वार्ड संख्या 02, पानी टैंकी निवासी पास, कुडुदंड, बिलासपुर जिलाबिलासपुर (सी. जी.)
- 8 – उपेंद्र चंद्रकर पिता भूपदेव कुमार चंद्रकर ,34 वर्ष , निवासी खमतलाई पोस्ट बैमा, सकंदा, न्यू डीएलएस कॉलेज, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (सी. जी.)
- 9 – पालेश्वर कश्यप पिता वृंदकुमार कश्यप , 25 वर्ष , उनका मकान संख्या 413, वार्ड संख्या 14, गुडीपारा मंदिर चौक लोहारसी, जिला :जांजगीर चंपा (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ताओं

बनाम

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, विधि तथा न्याय विभाग, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)
- 2 – जिला तथा सत्र न्यायाधीश बिलासपुर जिलाबिलासपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादीगण



याचिकाकर्तागण हेतु : ---श्री रविक्कर पटेल, अधिवक्ता

राज्य हेतु : ---श्री प्रमोद श्रीवास्तव, उप शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 2 हेतु : ---श्री आशीष सुराना, अधिवक्ता

माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायाधीश

सीएवी आदेश

1. चूंकि दोनों रिट याचिकाओं में एक समान मुद्दा और तथ्यों का एक ही प्रश्न शामिल है, इसलिए उन्हें समान रूप से सुना जाता है और इस सामान्य आदेश द्वारा निराकरण किया जाता है।

2. याचिकाकर्ताओं ने यह रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2 को आरक्षण रोस्टर और विधि के अनुसार कौशल परीक्षण के लिए एक नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त भर्ती परीक्षा में कौशल परीक्षण के लिए अवसर प्रदान करने का भी निर्देश दिया जाए।

3. अभिलेख से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि -

ए) उत्तरवादी संख्या 2 ने 28.06.2023 को स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट और सहायक ग्रेड III की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया और उम्मीदवारों से इस संबंध में आवेदन आमंत्रित किए। विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13.07.2023 थी। याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त कार्यवाही में भाग लिया और प्रारंभिक परीक्षा 22.10.2023 को आयोजित की गई थी। उत्तरवादी संख्या 2 ने अनारक्षित, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कौशल परीक्षण के लिए उम्मीदवारों की एक अलग सूची तैयार की। याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि अनारक्षित उम्मीदवारों की सूची में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त उच्चतम अंक 45 और न्यूनतम 29 हैं, जबकि ओबीसी श्रेणी में उच्चतम अंक 46 और न्यूनतम 39 हैं।

बी) याचिकाकर्ताओं ने 29 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं जो अनारक्षित श्रेणी के न्यूनतम अंकों से अधिक है फिर भी उन्हें गलत आरक्षण रोस्टर लागू करके कौशल परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया, परिणामस्वरूप कम अंक वाले उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण के लिए बुलाया गया। आगे यह तर्क दिया गया है कि अन्य जिला न्यायालय भर्ती अभियान में नियुक्ति प्राधिकारी ने आरक्षण रोस्टर के अनुसार उम्मीदवारों की सूची तैयार की है और ओबीसी श्रेणी के व्यक्तियों, जिन्होंने अनारक्षित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, को कौशल परीक्षण के लिए बुलाया गया है, इस तरह उत्तरवादी



संख्या 2 द्वारा भेदभावपूर्ण और अवैध प्रक्रिया अपनाई गई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति जताई लेकिन उत्तरवादी संख्या 2 ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यात्मक आधारों पर याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण नियमों के अनुसार उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने के पात्र हैं, परंतु उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा गलत आरक्षण रॉस्टर अपनाने के कारण याचिकाकर्ताओं को कौशल परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी प्राधिकारी ने कौशल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय अपना दिमाग नहीं लगाया है, जो भेदभाव और मनमानी के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नोटिस दिनांक 06.12.2023 (अनुलग्नक पी/4) और कवरिंग मेमो दिनांक 10.09.2024 के अनुसार, मुंगेली और सरगुजा जिले में एक ही परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें आरक्षण नियम का अक्षरशः पालन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण अधिनियम, 1994 (संक्षेप में '1994 के नियम') में 19.05.1995 को किए गए संशोधन और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 11.02.2008 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रावधान है कि अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित कोई भी आरक्षित उम्मीदवार आरक्षित उम्मीदवार के रूप में नहीं गिना जाएगा। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए वह **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य {1992 सप(3) एससीसी 217}** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय का उल्लेख देते हुये, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भारत में सभी भर्ती प्रक्रियाओं में ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रणाली का पालन किया जाता है। इस प्रणाली में, यदि कोई उम्मीदवार उच्च अंक प्राप्त करता है तो वह ऊर्ध्वाधर रूप से अनारक्षित श्रेणी में चला जाता है और उसे अनारक्षित पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रणाली में, यदि कोई अभ्यर्थी अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह अनारक्षित श्रेणी में चला जाता है और उसे अनारक्षित पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। वह **भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य बनाम संदीप चौधरी और अन्य {2022 लाइवलो (एससी) 419}** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आरक्षण का नियम सभी रिक्तियों में लागू होता है। उन्होंने **सौरव यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य {(2021) 4 एससीसी 542}** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख दिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षित अभ्यर्थियों के पदों को भरने की व्यवस्था निर्धारित की थी। पुनः उन्होंने **भारत संघ एवं अन्य बनाम एम सेल्वाकुमार एवं अन्य {(2017) 3 एससीसी 504}** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूरे भारत में सार्वजनिक रोजगार में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने **रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई.एल. यामुल एवं अन्य {(1996) 3**



एससीसी 253}', आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995) 2 एससीसी 745}, भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान (1995) 6 एससीसी 684} में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख दिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कोई अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित या पदोन्नत होता है तो उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों में नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार, उनका कहना है कि यदि कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के विरुद्ध चयनित किया जाएगा तथा चयन समिति को उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में नहीं गिनना चाहिए। इसे वर्टिकल आरक्षण प्रणाली कहा जाता है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) में माना था। उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रत्येक चयन समिति ने वर्टिकल आरक्षण प्रणाली का पालन किया है और चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए। दीपेंद्र यादव एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य {(2024) एससीसी ऑनलाइन (एससी) 724 दिनांक 01.05.2024 को तय} में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में आरक्षण रोस्टर/नियमों का पालन किया जाएगा और इन याचिकाओं को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है।

5. उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उत्तर में प्रस्तुत किया कि मांगी गई राहत की प्रकृति पूरी तरह से अस्पष्ट है और मान्य योग्य नहीं है, इसलिए, उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, याचिकाएं प्रारंभिक अवस्था में खारिज किए जाने योग्य हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित कौशल परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची को रद्द करने या अपास्त रखने की मांग करते हुए कोई विशिष्ट राहत नहीं मांगी है, ऐसे में किसी विशिष्ट राहत के अभाव में रिट याचिकाएं अपने वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 28.06.2023 के विज्ञापन की शर्तों के खंड संख्या 6 के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा केवल अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में शॉर्ट लिस्टिंग के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन के लिए आयोजित कौशल परीक्षा के अंकों में नहीं जोड़ा जाना था। इस प्रकार, विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि प्रारंभिक/स्क्रीनिंग स्तर पर आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित/छूट प्राप्त श्रेणी में स्थानांतरण से संबंधित आरक्षण के नियम लागू नहीं होते हैं। याचिकाकर्ता अनुतोष के हकदार नहीं हैं, क्योंकि आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरण के संबंध में आरक्षण का नियम प्रारंभिक परीक्षा परिणाम/स्क्रीनिंग स्तर के परिणाम घोषित करने के चरण में लागू नहीं होता है। (देखें: पुष्पेंद्र कुमार पटेल एवं अन्य मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 2023 एससीसी ऑनलाइन एमपी 12)। अतः, विधि के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कौशल परीक्षण के लिए पात्र उम्मीदवारों की श्रेणीवार सूची उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा तैयार की गई है। उनका कहना है कि यह कहना गलत है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कौशल परीक्षण के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार



करते समय उत्तरदाता प्रतिवादी ने गलत पैटर्न में आरक्षण रोस्टर अपनाया है। उन्होंने आगे कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें कौशल परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया है, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया के खंड 6 में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार है, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है और कौशल परीक्षण के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है और वे रिट याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना करता है। अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए वह रामनरेश @ रिकू कुशवाह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य {एसएलपी (सी) संख्या 2111/2024 के साथ एसएलपी (सी) संख्या 2311-2312/2024 और एसएलपी (सी) संख्या 2285/2024 तटस्थ उद्धरण संख्या 2024 आईएनएससी 611} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख दिया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं से बात की तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

7. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से इस न्यायालय द्वारा निर्धारित करने के लिए यह बिन्दु उभर कर आया कि क्या प्रतिवादियों द्वारा 1994 के नियमों का पालन किए बिना कौशल परीक्षण के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना उचित था?

8. इस बिंदु को समझने के लिए इस न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा शुरू की गई सहायक ग्रेड III की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया के चरण से गुजरना समीचीन है। खंड 6 के अनुसार, चयन प्रक्रिया तीन चरणों में निर्धारित की गई है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं और उम्मीदवारों को 1: 10 के अनुपात में बुलाया जाना चाहिए और कौशल परीक्षण में भाग लेना चाहिए। यह खंड विशेष रूप से प्रावधान करता है कि इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को मेरिट सूची तैयार करने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद, दूसरे चरण में सहायक ग्रेड III के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जानी है और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार अंतिम चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार की जानी है। इस प्रकार, पहले चरण की परीक्षा उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए एक कदम के अलावा और कुछ नहीं है, जो चयन प्रक्रिया में आगे के विचार के लिए सबसे योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से उम्मीदवार का मूल्यांकन और चयन करने की प्रक्रिया है। पहले चरण की परीक्षा उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग है, इसलिए उत्तर देने वाले प्रतिवादी के लिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ऊर्ध्वाधर आरक्षण को अपनाना आवश्यक नहीं है। सौरव यादव (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले की स्थिति से संबंधित नहीं है। निर्णय के कंडिका 58 और 59 अनुच्छेद 16(1) या 15(3) या 16(4) से संबंधित हैं। अनुच्छेद 16(1) अधिनियम के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) में प्रावधान है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 16(4) में यह प्रावधान है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को



किसी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्ति या पद के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इन अनुच्छेदों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रोजगार के मामले में आरक्षण का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग को किसी भी उम्मीदवार को रोजगार के लिए एक अथक अधिकार देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह समय से पहले का तर्क है कि हालांकि उन्होंने अनारक्षित श्रेणी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उन्हें अनारक्षित श्रेणी में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार के अधिकार का विवादक अली हुसैन मंडल और अन्य बनाम डब्ल्यू.बी. बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और अन्य {2024 आईएनएससी 453} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है, जिसमें कंडिका 26 और 28 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है: ---

26. इसके अलावा, जब रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तब भी ये उम्मीदवार उन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त होने का अपरिवर्तनीय अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। नियुक्तियाँ करने से पहले बोर्ड द्वारा कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें जिले के अनुसार उपयुक्तता, आयु, भाषा आदि शामिल हैं। ऐसे कारणों से पैनल की वैधता समाप्त होने तक 3929 रिक्तियाँ खाली रह गईं। इससे पहले 12,571 नियुक्तियों की गई थीं।

28. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने दिनेश कुमार कश्यप एवं अन्य बनाम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं अन्य {(2019) 12 एससीसी 798} के मामले में दिए गए अनुपात पर भारी निर्भरता रखते हुए तर्क दिया कि हालांकि चयनित उम्मीदवार के पास उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन जब नियुक्ता पदों को नहीं भरने का फैसला करता है, तो विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। इस पहलू पर, यह कहना पर्याप्त होगा कि नियमों में पैनल सूची के लिए एक वर्ष की शेल्फ लाइफ का प्रावधान है। यह स्वीकार किया जाता है कि , उक्त सूची (15.02.2021 को अधिसूचित) का विस्तार किसी भी प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया गया था। चूंकि समाप्त हो चुकी चयन सूची पर कार्रवाई न करने का निर्णय नियमों के प्रावधानों पर आधारित है, इसलिए हम दिनेश कुमार कश्यप में अनुपात के आधार पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि दिनेश कुमार कश्यप (सुप्रा) में उम्मीदवारों ने चयन सूची की वैधता के दौरान अदालत का दरवाजा खटखटाया था, इन मामलों के विपरीत जहां रिट याचिकाओं का पहला बैच मई 2022 में दायर किया गया था, यानी फरवरी 2022 में उक्त मेरिट सूची की समाप्ति के लगभग तीन महीने बाद।

9. अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची तथा विज्ञापन में निर्धारित मानदण्डों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची बनाई जानी है। उत्तरवादीगण ने 32 अनारक्षित श्रेणी के लिए एक विज्ञापन जारी किया है, तदनुसार अनारक्षित श्रेणी के 372 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया है,



जिन्होंने विज्ञापन में दिए गए अनुपात को बनाए रखने के लिए 45 से 29 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। यदि याचिकाकर्ताओं को अनारक्षित श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त करने के कारण कौशल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो यह विज्ञापन जारी होने के बाद नियम में बदलाव होगा क्योंकि विज्ञापन में निर्धारित 1:10 के अनुपात की अनदेखी करते हुए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा दी जाएगी जो कि तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य {2024 आईएनएससी 847} के मामले में संविधान पीठ के निर्णय के तहत स्वीकार्य नहीं है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है:---

42. अतः, हम संदर्भ का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में देते हैं:

(1) भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के जारी होने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है;

(2) भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड, भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन, जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न दे। भले ही मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत ऐसा परिवर्तन अनुमेय हो, लेकिन परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करना होगा और गैर-मनमानापन के परीक्षण को संतुष्ट करना होगा;

(3) के. मंजूश्री (सुप्रा) में निर्णय अच्छे कानून को निर्धारित करता है और सुभाष चंद्र मारवाह (सुप्रा) के निर्णय के साथ संघर्ष में नहीं है। सुभाष चंद्र मारवाह (सुप्रा) चयन सूची से नियुक्त किए जाने के अधिकार से संबंधित है जबकि के. मंजूश्री (सुप्रा) चयन सूची में रखे जाने के अधिकार से संबंधित है। इसलिए दोनों प्रकरण पूरी तरह से अलग-अलग विवादों से निराकरण करते हैं;

(4) भर्ती निकाय, विद्यमान नियमों के अधीन रहते हुए, भर्ती प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, परंतु कि अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण/गैर-मनमानी हो तथा उसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो।

(5) वैधानिक बल वाले मौजूदा नियम प्रक्रिया और पात्रता दोनों के संदर्भ में भर्ती निकाय पर बाध्यकारी हैं। हालाँकि, जहाँ नियम मौजूद नहीं हैं, या मौन हैं, प्रशासनिक निर्देश अंतराल को भर सकते हैं;

(6) चयन सूची में स्थान दिए जाने से नियुक्ति का कोई अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं मिलता है। राज्य या उसके साधन सिविल अपील संख्या 2634/2013 के लिए वास्तविक कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। यद्यपि, यदि रिक्तियाँ मौजूद हैं, तो राज्य या उसके तंत्र चयन सूची में विचार के दायरे में किसी व्यक्ति को नियुक्ति देने से मनमाने ढंग से इनकार नहीं कर सकते हैं।



10. प्रकरण का अभिलेख यह भी प्रदर्शित करता है कि याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी आपत्ति के प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया था और इन याचिकाओं में भी उन्होंने किसी भी तरह से 1:10 अनुपात में उम्मीदवारों को बुलाने के मानदंड को चुनौती नहीं दी है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं को कौशल परीक्षा में याचिकाकर्ताओं को बाद में शामिल न करने को चुनौती देने से भी रोका जाता है। इस प्रकार, इस आधार पर भी रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

11. इस विषय पर विधि को ध्यान में रखते हुए कि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भी चयन का कोई अटूट अधिकार नहीं है, बिना किसी आपत्ति के भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने मात्र से उन याचिकाकर्ताओं को, जिन्हें शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया गया है, रिट याचिका में मांगा गया अनुतोष पाने का अधिकार नहीं रह जाता है। तदनुसार, दोनों रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं तथा तदनुसार, रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

सही/-
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

